EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II—SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page No. 2477—2481

Dated 28-7-2001

अधिसूचना

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2001

सा. का. नि. 392.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वापक विभाग (समूह ख पद) भर्ती नियम, 1984 को अधिक्रांत करते हुए सिवाय उन बातों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, राजस्व विभाग के अधीन केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो में समूह ख पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो में (समूह ख पद) भर्ती नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :**— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह करने की संविदा की है।

(ख) जिसने अपने पति या अपनी के पत्नी जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह करने की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन सह-ज्येष्ठता अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
जिला अफीम अधिकारी/ आसूचना अधिकारी/ अधीक्षक (कार्यपालक)/ विक्रय प्रबंधक/ उप प्रबंधक	59* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित, अनुसचिवीय जिला अफीम अधिकारी-18 आसूचना अधिकारी-02 अधीक्षक कार्यपालक-36 विक्रय प्रबंधक-02 उप प्रबंधक-01	6,500-200-10500 रु. PB-2 Rs. 9300-34,800+ Rs. 4800 Grade pay.	चयन-सह ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

Scanned by CamScanner

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायेगा
11	12
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति**—5000-8000 रु. के वेतनमान में ऐसे निरीक्षक जिन्होंने छह वर्ष नियमित सेवा की है । **प्रतिनियुक्ति :**—सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय के ऐसे अधिकारी जो निम्नलिखित पद धारण किए हुए हैं:— (i) अधीक्षक (सीमा शुल्क) या अधीक्षक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) समूह ''ख'' (ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के ऐसे निरीक्षक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष तक नियमित सेवा की है । (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।) **टिप्पण:**—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
समूह ''ख'' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. स्वापक आयुक्त —सदस्य 2. सरकारी अफीम और अल्कालाईड कारखानों का मुख्य नियंत्रक—सदस्य 3. उप स्वापक आयुक्त (मुख्यालय)—सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

टिप्पण:—पहले दो अधिकारियों में से ज्येष्ठ अधिकारी विभागीय प्रोन्नति समिति का अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य होगें।

[फा. सं. ए-12018/5/98-प्रशा०-II (ख)]

एस पी शर्मा, उप सचिव

Scanned by CamScanner

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 19th July, 2001

G.S.R. 392.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Narcotics Department, (Group 'B' Posts), Recruitment Rules, 1984, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' posts in the Central Bureau of Narcotics under the Department of Revenue, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Bureau of Narcotics (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection by merit or Selection-cum-Seniority or Non-selection-post	Age limit for Direct Recruits	Whether benefit of added years of service admissible
1	2	3	4	5	6	7
District Opium Officer/Intelligence Officer/Super-intendent. (Executive)/Sales Manager/Deputy Manager.	59*(2001) *Subject to variation dependent on work-load District Opium Officer—18 Intelligence Officer–02 Supdt. (Executive)–36 Sales Manager–02 Deputy Manager–01	General Central, Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 6500-200-10500 Rs 9300-34,800 + Rs 4800 Grade Pay (4800/-) in PB-2	Selection-cum-Seniority	Not applicable	Not applicable

Scanned by CamScanner

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by variou s methods
8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	2 years	Promotion failing which by deputation

In the case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Promotion : Inspectors in the scale of pay of Rs. 5000-8000 with 6 years' regular service in the grade. **Deputation:** Officers in Customs and Central Excise Commissionerate—holding the posts of— (i) Superintendent (Customs) or Superintendent (Central Excise) (Group 'B'); OR (ii) Inspector of Central Excise with 3 years regular service in the grade. The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of appalication.) **Note:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligiblity service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their Juniors who have already completed such qualifying/eligiblity service.	**Group 'B' DPC (for Promotion):** 1. Narcotics Commissioner—Member 2. Chief Controller of Government Opium and Alkaloid Factories—Member 3. Deputy Narcotics Commissioner (Headqaurters)—Member **Note :** the senior of the first two officers shall be the Chairman of the D.P.C and the other shall be member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/5/98-Ad.II(B)]
S.P. SHARMA, Dy. Secy.

MGIPRRND—2267 Fin/2001—200.

Scanned by CamScanner